न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 37/2025

राजस्थान सरकार जरिये अतुल कुमार बडाया, प्रवर्तन निरीक्षक, अजमेर। ....**प्रार्थी**

बनाम

श्री हेमराज खटीक

मैसर्स श्री भैरव नॉनवेज होटल अजमेर रोड सरवाड़।

.....**अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी – पैरोकार सरकार

श्री हेमराज खटीक अप्रार्थी स्वयं

<u>आदेश</u>

दिनांक 28.05.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 17.04.2025 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (द्वितीय) के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध दुरूपयोग एवं गैस रिफिलिंग रोकथाम अभियान के तहत अतुल कुमार बडाया प्रवर्तन निरीक्षक मैसर्स श्री भैरव नॉनवेज होटल अजमेर रोड सरवाड पहुॅचा। मौके पर 02 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डरों के माध्यम से चिकन मटन नॉनवेज बनाने का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। मौके पर गायत्री गैस एजेन्सी, सरवाड जिला अजमेर के कार्मिक श्री प्रकाश चन्द्र सैन पुत्र श्री रामरतन सैन निवासी गोयला तहसील सरवाड को बुलवा कर घरेलू गैस सिलेण्डरों का कांटे से वजन करवाने पर उनमें एलपीजी की शुद्ध मात्रा 6 किग्रा पाई गई जिसका विवरण निम्नानुसार है।

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	134776	BPCL	15.800	15.800	0
2	80375	BPCL	15.500	21.500	600

इस प्रकार मौके पर पाये गये अप्रार्थी द्वारा घरेलू एल.पी.जी सिलेण्डरों को दुरूपयोग कर एल.पी.जी. आदेश 2000 की धारा 3 (1) सी की अवहेलना होने के कारण 2 घरेलू एल.पी. जी सिलेण्डर एवं 6 किग्रा एलपीजी को राजहित में जब्त किया गया एवं गायत्री गैस एजेन्सी सरवाड जिला अजमेर को जरिये कार्मिक श्री प्रकाश चन्द्र सैन पुत्र श्री रामरतन सैन निवासी गोयला तहसील सरवाड आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिए गए जिसका फर्द चैकिंग व जब्ती एवं फर्द सुपुर्दगी मौके पर तैयार कर संलग्न किया

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर

गया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 6 किग्रा एलपीजी को राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि भविष्य में मेरे द्वारा ऐसा कृत्य पुनः नहीं होगा। अतः क्षमा करें एवं नोटिस निरस्त फरमावे।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 17.04.2025 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर दो घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गये ना ही सिलैण्डर भण्डारण का कोई सन्तोषजनक जवाब मौके पर दिया गया। अप्रार्थी का यह कृत्य एल.पी.जी आदेश 2000 की धारा 3 (1) सी का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 6 किग्रा एल.पी.जी को राजसात फरमावें।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। मौके पर सिलेण्डर के माध्यम से चिकन मटन नॉनवेज बनाकर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 17.04.2025 में अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर, 6 कि.ग्राम एल.पी.जी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर